[2021] 6 एस. सी. आर 194

कंचन शर्मा

वी.

उत्तर प्रदेश राज्य और एएनआर।

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 1022)

17 सितंबर, 2021

[आर. सुभाष रेड्डी और ऋषिकेश रॉय, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860 - s.306 s. 306 मृतक (शिकायतकर्ता का भाई) अपीलार्थी के घर गया और अपनी जेब में रखी एक छोटी सी बोतल से जहर निकालकर खा लिया।

अपीलार्थी के खिलाफ कार्यवाही यू / s.306, आई. पी. सी. और एस. सी. और एस. टी. अधिनियम के 3 (2) (वी)-उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी यू/के आवेदन को खारिज कर दिया। s.482, सी. आर. पी. सी.-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः केवल इसलिए कि मृतक ने अपीलार्थी के घर के सामने जहर खा लिया था, यह स्वयं अपीलार्थी के मृतक के साथ किसी भी संबंध का संकेत नहीं देगा-यह आरोप लगाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि अपीलार्थी ने एस के अर्थ के भीतर मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाया था। 306 , आई. पी. सी.-इसके संबंध में भी

अपराध का आरोप यू / अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3 (2) (v), अस्पष्ट और गंजे बयान को छोड़कर कि अपीलार्थी और परिवार के अन्य सदस्यों ने दुर्व्यवहार किया

कि वह उससे इस धमकी के साथ शादी करे कि वह मर जाएगा अन्यथा उसी को ध्यान में रखते हुए और एस के अर्थ के भीतर किसी भी सामग्री के अभाव में। 107 आई. पी. सी., अपीलार्थी के खिलाफ आगे बढ़ने का कोई आधार नहीं है। s.306 आई. पी. सी. और एस. 3 (2) (v) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम का अपीलार्थी को सामना करने के लिए मजबूर करना न्याय का उपहास होगा। बिना किसी विश्वसनीय सामग्री के आपराधिक मुकदमा-उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकार करने में गलती की s.482, सी. आर. पी. सी.-संज्ञान आदेश/एन. बी. डब्ल्यू. के साथ-साथ कार्यवाही यू / s.306, आई. पी. सी. और एससी और एसटी अधिनियम के 3 (2) (वी) अपीलार्थी के खिलाफ, अलग रखे गए-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अनुसूचित जनजातियों की रोकथाम)

अत्याचार) अधिनियम, 1989 - धारा 3 (2) (v)-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - s.482।

दंड संहिता, 1860 - s.306-आत्महत्या के लिए उकसाना-आरोपी की ओर से उकसाने या सहायता करने के लिए सकारात्मक कार्य किए बिना

194 कंचन शर्मा बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और एएनआर।

आत्महत्या करना, किसी को भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है s.306 -

अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करना s.306 इसके लिए एक सक्रिय कार्य या प्रत्यक्ष कार्य की आवश्यकता होती है जिसके कारण मृतक ने आत्महत्या कर ली, कोई विकल्प नहीं था और उस कार्य का उद्देश्य मृतक को ऐसी स्थिति में धकेलना था कि उसने आत्महत्या कर ली।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973। 482 - उच्च न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन को अस्वीकार करने में गलती की s.482,

सी. आर. पी. सी. केवल एक निष्कर्ष दर्ज करके कि तथ्यात्मक विवादों को देखते हुए, एक याचिका में इसका निर्णय नहीं लिया जा सकता है। s.482, सीआरपीसी - संज्ञान आदेश/एन. बी. डब्ल्यू. के साथ-साथ कार्यवाही यू / अपीलार्थी के विरुद्ध आई. पी. सी., आई. पी. सी. और एस. सी. और एस. टी. अधिनियम की धारा 3 (2) (वी) को दरकिनार कर दिया गया है-दंड संहिता, 1860। 306 - अनुसूचित जाति और अनुसूचित

जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 - एस. 3 (2) (वी)।

शब्द और वाक्यांश प्रोत्साहन का अर्थ-आयोजितः ' 'प्रोत्साहन' में किसी व्यक्ति को उकसाने की मानसिक प्रक्रिया शामिल है या

किसी कार्य को करने में जानबूझकर किसी व्यक्ति की सहायता करना।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1 . शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों के स्व-सेवारत बयानों को छोड़कर जिसमें कहा गया है कि मृतक मामले में था।

अपीलार्थी के साथ प्रेम, यह दिखाने के लिए कोई अन्य सामग्री नहीं है कि अपीलार्थी मृतक के साथ कोई संबंध बनाए हुए था। से

अभिलेख पर रखी गई सामग्री से यह स्पष्ट है कि

घटना में, मृतक अपीलार्थी के घर गया और अपनी जेब में रखी एक छोटी सी बोतल से जहर निकालकर खा लिया। केवल इसलिए कि उसने अपीलार्थी के घर के सामने जहर खा लिया था, यह स्वयं अपीलार्थी के मृतक के साथ किसी भी संबंध का संकेत नहीं देगा। प्रोत्साहन '

इसमें किसी व्यक्ति को उकसाने या जानबूझकर किसी व्यक्ति को कुछ करने में सहायता करने की मानसिक प्रक्रिया शामिल है। आत्महत्या करने के लिए उकसाने या सहायता करने के लिए आरोपी की ओर से सकारात्मक कार्य के बिना, किसी को भी आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। धारा 376 के तहत अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करना।

आई. पी. सी. में एक सक्रिय कार्य या प्रत्यक्ष कार्य की आवश्यकता होती है जिसके कारण मृतक ने आत्महत्या कर ली, कोई विकल्प नहीं देखा और उस कार्य का उद्देश्य मृतक को ऐसी स्थिति में धकेलना होना चाहिए कि वह आत्महत्या कर ली। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि

अपीलार्थी मृतक के साथ संबंध बनाए हुए था और आगे यह आरोप लगाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि अपीलार्थी ने [2021] 6 एस. सी. आर. को उकसाया।

आई. पी. सी. की धारा306 के अर्थ के भीतर मृतक की आत्महत्या के लिए। यहां तक कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (रोकथाम) की धारा 3 (2) (वी) के तहत कथित अपराध के संबंध में भी।

अत्याचार) अधिनियम, 1989, अस्पष्ट और गंजे बयान को छोड़कर कि अपीलार्थी और परिवार के अन्य सदस्यों ने जातिवादी शब्द बोलकर मृतक के साथ दुर्व्यवहार किया, कथित अपराध के लिए भी किसी भी सामग्री को आकर्षित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है। [पैरा 9] [199-एफ-एच; 200-ए-सी]

2. वास्तव में, पहले के समय में जब मृतक अपीलार्थी का पीछा कर रहा था, अपीलार्थी अपने पिता के साथ चला गया।

पुलिस स्टेशन में मृतक द्वारा अपीलार्थी को किए जा रहे कॉल के बारे में शिकायत की गई। एस. आई. के बयान से भी यही बात स्पष्ट होती है। दर्ज किए गए अपने बयान में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि पिता अपीलार्थी के साथ पुलिस चौकी गए और मृतक के खिलाफ शिकायत की। अपीलार्थी को लगातार फोन करना और प्रस्ताव देना कि उसे उससे इस धमकी के साथ शादी करनी चाहिए कि वह अन्यथा मर जाएगा। अभिलेख पर रखी गई ऐसी सामग्री को ध्यान में रखते हुए और आई. पी. सी. की धारा 107 के अर्थ के भीतर किसी भी सामग्री के अभाव में, अपीलार्थी के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 376 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (2) (वी) के तहत कथित अपराध के लिए आगे बढ़ने का कोई आधार नहीं है। अपीलार्थी को बिना किसी विश्वसनीय सामग्री के आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए मजबूर करना न्याय का उपहास होगा। [पैरा 10] [202-एफ-एच; 203-ए]

3. उसी को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन को अस्वीकार करने में त्रुटि की है

धारा 482, सी. आर. पी. सी. केवल एक निष्कर्ष दर्ज करके कि तथ्यात्मक विवादों को देखते हुए धारा 482, सी. आर. पी. सी. के तहत एक याचिका में निर्णय नहीं लिया जा सकता है। [पैरा 11] [203-ए-बी]

4. धारा 482 सी. आर. पी. सी. के तहत दायर आवेदन की अनुमति है और अपीलार्थी के खिलाफ संज्ञान आदेश/एन. बी. डब्ल्यू. के साथ-साथ अपराध से उत्पन्न विशेष मुकदमे की कार्यवाही की अनुमति है। आई. पी. सी. की धारा 376 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (2) (v) लंबित है।

अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी और एसटी अधिनियम) की अदालत में खारिज कर दिया जाता है। [पैरा 12] [203-बी-सी] कंचन शर्मा बनाम।

उत्तर प्रदेश राज्य और एएनआर।

चित्रेश कुमार चोपड़ा बनाम। राज्य (सरकार। एन. सी. टी. का

दिल्ली) (2009) 16 एससीसी 605: [2009] 13 एससीआर 230;

अमलेंदु पाल @झंटू बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य (2010)

विजय कुमार महाजन और अन्न। (2010) 12 एससीसी 190: [2010] 9 एस. सी. आर. 1111; और राजीव थापर और अन्य। वी.

मदन लाल कपूर (2013) 3 एससीसी 330: [2013] 3 एस. सी. आर. 52 पर भरोसा किया।

मामला कानून संदर्भ

[2009] 13 एससीआर 230

उस पर भरोसा करें

पै

रा 9

[2009] 15 एससीआर 836

उस पर भरोसा करें

पै

रा 9

[2010] 9 एससीआर 1111

उस पर भरोसा करें

पै

रा 9

[2013] 3 एससीआर 52

उस पर भरोसा करें

पै

रा 9

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2021 का No.1022।

उच्च न्यायालय के 18.07.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2019 की धारा 482 No.27662 के तहत आवेदन में इलाहाबाद में न्यायिक न्यायालय।

संचित गर्ग, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

अविरल सक्सेना, सर्वेश सिंह बघेल, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए। न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. सुभाष रेड्डी, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह आपराधिक अपील आवेदक द्वारा आवेदन में दायर की जाती है।

2019 का No.27662, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 18.07.2019 के आदेश से व्यथित, दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.PC) की धारा 482 के तहत दायर उनके आवेदन को खारिज करते हुए।

3. कि 11.05.2018 पर, केस क्राइम No.278/2018 वाली एक एफ़. आई. आर.

विजयदीप (शिकायतकर्ता और मृतक के भाई) की शिकायत पर पी. एस. टी. पी. नगर पुलिस स्टेशन, जिला मेरठ में आई. पी. सी. की धारा 328,302 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (2) (वी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

' अधिनियम '), यह आरोप लगाते हुए कि उनके भाई विकास (मृतक) को [2021] 6 एस. सी. आर. द्वारा बुलाया गया था।

फोन किया, वह अपीलार्थी के घर गया, जहाँ अपीलार्थी के पिता, माँ और बहन उसके भाई से मिले और उन सभी ने उसके भाई के साथ दुर्व्यवहार किया जातिवादी गालियों के साथ और उसे जबरदस्ती जहर दिया और परिणामस्वरूप उसका भाई बेहोश हो गया। शिकायतकर्ता आगे

उसने कहा कि उसके भाई को अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल की लापरवाही के कारण उसकी मौत हो गई।

4. प्रारंभ में निम्नलिखित दंडनीय अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी -

अपीलार्थी के खिलाफ लिया गया था और 21.02.2019 पर अपीलार्थी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे। अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के बाद, अपीलार्थी के खिलाफ विशेष सत्र परीक्षण No.23 में मामला दर्ज किया गया था। 2019 (राज्य वी। कंचन शर्मा) आई. पी. सी. की धारा 376 और अधिनियम की धारा 3 (2) (वी) के तहत, जो अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की फाइल पर लंबित है।

(अत्याचार निवारण) अधिनियम, मेरठ।

5. अपीलार्थी ने अपने और साथ ही अपराधी के खिलाफ जारी संज्ञान आदेश/एन. बी. डब्ल्यू. को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की फाइल पर लंबित 2019 के विशेष मुकदमे में कार्यवाही, आवेदन के माध्यम से

कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 482, Cr.PC के तहत। यह उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी का मामला था कि अपीलार्थी के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 376 और अधिनियम की धारा 3 (2) (वी) के तहत कथित अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए कोई अपराध नहीं बनाया गया है। उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश द्वारा याचिका का निपटारा मुख्य रूप से इस आधार पर किया है कि तथ्य के विवादित प्रश्नों पर इस स्तर पर धारा 482, Cr.PC के तहत निर्णय नहीं लिया जा सकता है। 6. हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री संचित गर्ग और प्रथम के विद्वान वकील श्री अविरल सक्सेना को सुना है।

उत्तरदाता-राज्य। हालाँकि दूसरे प्रतिवादी-शिकायतकर्ता को पेश किया जाता है, लेकिन इस न्यायालय के समक्ष उसकी ओर से कोई उपस्थिति नहीं होती है।

7. अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री गर्ग ने मुख्य रूप से तर्क दिया है कि कंचन शर्मा बनाम के खिलाफ आगे बढ़ने का कोई आधार नहीं है।

उत्तर प्रदेश राज्य और एएनआर। [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

अपीलार्थी आई. पी. सी. की धारा306 और अधिनियम की धारा 3 (2) (v) के तहत कथित अपराध के लिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सिवाय इसके कि अपीलार्थी को मृतक द्वारा उसका पीछा करके और उसके साथ शादी का प्रस्ताव देकर परेशान किया गया था, यह आरोप लगाने का कोई आधार नहीं है कि अपीलार्थी ने मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि घटना के दिन, अर्थात, मृतक अपीलार्थी के घर आया और चिल्लाने लगा कि वह अपीलार्थी से शादी करेगा और अगर उसकी शादी नहीं हुई तो वह जहर खा लेगा। इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने हाथ में रखी एक छोटी सी बोतल से जहर खा लिया और बेहोश हो गए और अस्पताल में उनकी मौत हो गई। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आई. पी. सी. की धारा 306/107 के किसी भी तत्व के अभाव में, अपीलार्थी पर आई. पी. सी. की धारा 376 और अधिनियम की धारा 3 (2) (वी) के तहत अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सामग्री पर विचार करने से अधिनियम की धारा 3 (2) (v) के तहत अपराध भी नहीं बनता है।

8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील नं। 1 - राज्य ने प्रस्तुत किया है कि मृतक के साथ संबंध बना रहा था

उसने अपनी जेब में रखी एक छोटी सी बोतल से जहर निकालकर खा लिया। केवल इसलिए कि उसने अपीलार्थी के घर के सामने जहर खा लिया था, यह स्वयं अपीलार्थी के मृतक के साथ किसी भी संबंध का संकेत नहीं देगा। 'प्रोत्साहन' में किसी व्यक्ति को उकसाने या जानबूझकर किसी व्यक्ति को कुछ करने में सहायता करने की मानसिक प्रक्रिया शामिल है। इसके बिना अभियुक्त की ओर से आत्महत्या करने के लिए उकसाने या सहायता करने के लिए सकारात्मक कार्य, किसी को भी आई. पी. सी. की धारा306 के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करना।

इसके लिए एक सक्रिय कार्य या प्रत्यक्ष कार्य की आवश्यकता होती है जिसके कारण मृतक ने आत्महत्या कर ली, कोई विकल्प नहीं था और उस कार्य का उद्देश्य मृतक को ऐसी स्थिति में धकेलना था कि उसने आत्महत्या कर ली। अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि अपीलार्थी मृतक के साथ संबंध बनाए हुए था और आगे यह आरोप लगाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि अपीलार्थी ने आई. पी. सी. की धारा 305 के अर्थ में मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाया था। अधिनियम की धारा 3 (2) (v) के तहत कथित अपराध के संबंध में भी यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अस्पष्ट और गंजे बयान को छोड़कर कि अपीलार्थी और परिवार के अन्य सदस्यों ने जातिवादी शब्द बोलकर मृतक के साथ दुर्व्यवहार किया, लेकिन कथित अपराध के लिए किसी भी सामग्री को आकर्षित करने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है। चित्रेश कुमार चोपड़ा बनाम के मामले में यह न्यायालय। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली की सरकार) 1 को उकसाने के पहलू से निपटने का अवसर मिला। उक्त मामले में इस न्यायालय ने राय दी है कि अभियुक्त द्वारा किसी कार्य को करने के लिए उकसाने, उकसाने या प्रोत्साहित करने का इरादा होना चाहिए। इसके अलावा, फैसले में यह भी कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्महत्या करने की प्रवृत्ति दूसरे से अलग होती है और प्रत्येक व्यक्ति का आत्म-सम्मान और आत्म-सम्मान का अपना विचार होता है। उक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आत्महत्या के मामलों से निपटने के लिए कोई सीधा सूत्र निर्धारित करना असंभव है और प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाना है। अमलेंदु पाल @झंटू के मामले में

वी. पश्चिम बंगाल राज्य 2 ने एक मामले को आई. पी. सी. की धारा306 के दायरे में लाने के लिए इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः

" 12. इस प्रकार, इस न्यायालय ने लगातार यह विचार रखा है कि किसी अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध का दोषी ठहराने से पहले, अदालत को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए और यह पता लगाने के लिए कि क्या पीड़ित के साथ की गई क्रूरता और उत्पीड़न ने पीड़ित के पास उसके जीवन को समाप्त करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं छोड़ा था, उसके सामने पेश किए गए साक्ष्य का भी आकलन करना चाहिए। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि आत्महत्या के कथित उकसावे के मामलों में आत्महत्या के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उकसाने के कृत्यों का प्रमाण होना चाहिए। केवल आरोपी की ओर से घटना के समय के निकट कोई सकारात्मक कार्रवाई किए बिना उत्पीड़न के आरोप पर, जिसके कारण व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया या मजबूर किया गया, आई. पी. सी. की धारा306 के संदर्भ में दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है।

1 (2009) 16 एस. सी. सी. 605 2 (2010) 1 एस. सी. सी. 707 कंचन शर्मा बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एएनआर। [आर. सुभाष रेड्डी, जे।]

उक्त अपराध के साथ द्वारा साबित और स्थापित किया जाना चाहिए आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत दोषी ठहराए जाने से पहले अभियोजन।

एस. एस. छीना बनाम के मामले में निर्णय में। विजय कुमार महाजन और Anr.[3] इस न्यायालय ने अपराध के घटकों को दोहराया आई. पी. सी. की धारा 307। फैसले का अनुच्छेद 25 इस प्रकार हैः

अभियुक्त की ओर से आत्महत्या करने के लिए उकसाने या सहायता करने के लिए सकारात्मक कार्य, दोषसिद्धि को बनाए नहीं रखा जा सकता है। विधायिका का इरादा और इस न्यायालय द्वारा तय किए गए मामलों का अनुपात स्पष्ट है कि आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए अपराध करने के लिए एक स्पष्ट पुरुष कारण होना चाहिए। इसके लिए एक सक्रिय कार्य या प्रत्यक्ष कार्य की भी आवश्यकता होती है जिसके कारण मृतक को कोई विकल्प न देखकर आत्महत्या करनी पड़ी और उस कार्य का उद्देश्य मृतक को ऐसी स्थिति में धकेलना रहा होगा कि वह उन्होंने आत्महत्या कर ली "।

राजीव थापर और अन्य के मामले में निर्णय में। वी. मदन लाल कपूर 1 इस न्यायालय ने निम्नलिखित प्रावधान के दायरे पर विचार किया है। धारा 482, Cr.PC और उन कदमों को निर्धारित किया है जिनका उच्च न्यायालय द्वारा अनुरोध की सत्यता निर्धारित करने के लिए पालन किया जाना चाहिए।

धारा 482, Cr.PC के तहत शक्ति के प्रयोग में कार्यवाही को रद्द करना। पैराग्राफ 30 जिसमें चार चरण शामिल हैं जिन्हें नीचे पढ़ा गया हैः

" 30. पूर्वगामी पैराग्राफ में बताए गए कारकों के आधार पर,

हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय में निहित शक्ति का उपयोग करके एक आरोपी द्वारा की गई रद्द करने की प्रार्थना की सत्यता निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित कदमों का वर्णन करेंगेः 30.1 . पहला कदमः क्या अभियुक्त द्वारा जिस सामग्री पर भरोसा किया गया है वह ठोस, उचित और निर्विवाद है अर्थात वह सामग्री स्टर्लिंग की है।

और त्रुटिहीन गुणवत्ता?

3 (2010) 12 एससीसी 190 4 (2013) 3 एससीसी 330 [2021] 6 एस. सी. आर.

30.2 . दूसरा चरणः क्या अभियुक्त द्वारा जिस सामग्री पर भरोसा किया गया है, वह अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों में निहित दावों को खारिज कर देगी, यानी कि सामग्री शिकायत में निहित तथ्यात्मक दावों को अस्वीकार करने और खारिज करने के लिए पर्याप्त है, यानी सामग्री ऐसी है जो एक उचित व्यक्ति को आरोपों के तथ्यात्मक आधार को गलत बताते हुए खारिज करने और निंदा करने के लिए राजी करेगी?

30.3 . तीसरा कदमः क्या अभियुक्त द्वारा जिस सामग्री पर भरोसा किया गया है उसका अभियोजन/शिकायतकर्ता द्वारा खंडन नहीं किया गया है; और/या सामग्री ऐसी है कि अभियुक्त द्वारा इसका उचित रूप से खंडन नहीं किया जा सकता है। अभियोजन/शिकायतकर्ता?

इसके अधीन निहित शक्ति के प्रयोग में आपराधिक कार्यवाही धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता। न्याय करने के अलावा शक्ति का ऐसा प्रयोग

अभियुक्त के लिए, अदालत का बहुमूल्य समय बचेगा, जो

अन्यथा इस तरह के मुकदमे को आयोजित करने में बर्बाद हो जाएगा (साथ ही साथ

) विशेष रूप से जब यह स्पष्ट हो कि

यही बात अभियुक्त की दोषसिद्धि में समाप्त नहीं होगी। "

10. इस न्यायालय द्वारा तय किए गए उपरोक्त अनुपात को लागू करके, हमने अभिलेख पर सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच की है और मामले के तथ्यों की जांच की है। इस कथन के अलावा कि मृतक अपीलार्थी के संबंध में था, यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि अपीलार्थी मृतक के साथ कोई संबंध बनाए हुए था। वास्तव में, पहले के समय में जब मृतक अपीलार्थी का पीछा कर रहा था, अपीलार्थी अपने पिता के साथ पुलिस स्टेशन गया और मृतक द्वारा अपीलार्थी को किए जा रहे कॉल के बारे में शिकायत की। 05.07.2018 पर दर्ज एस. आई. मनोज कुमार के बयान से भी यही स्पष्ट है। दर्ज किए गए अपने बयान में उन्होंने स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि पिता अपीलार्थी के साथ पुलिस चौकी गए और मृतक के खिलाफ शिकायत की जो लगातार अपीलार्थी को फोन कर रहा था और प्रस्ताव दे रहा था कि उसे धमकी के साथ उससे शादी कर लेनी चाहिए कि वह अन्यथा मर जाएगा। अभिलेख पर रखी गई ऐसी सामग्री को ध्यान में रखते हुए और आई. पी. सी. की धारा 107 के अर्थ के भीतर किसी भी सामग्री के अभाव में, कथित के लिए अपीलार्थी के खिलाफ आगे बढ़ने का कोई आधार नहीं है।

आई. पी. सी. की धारा 376 और अधिनियम की धारा 3 (2) (v) के तहत अपराध।

यह कंचन शर्मा बनाम होगा। उत्तर प्रदेश राज्य और एएनआर। [आर. सुभाष रेड्डी, जे।]

अपीलार्थी को आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए मजबूर करने के लिए न्याय का उपहास होना चाहिए

बिना किसी विश्वसनीय सामग्री के। 11. उसी को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन को अस्वीकार करने में त्रुटि की है।

केवल एक निष्कर्ष दर्ज करके कि तथ्यात्मक विवादों को देखते हुए धारा 482, Cr.PC के तहत याचिका में इसका निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

12. उपरोक्त कारणों से, इस अपील की अनुमति दी जाती है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन में 18.07.2019 दिनांकित आदेश पारित किया जाता है।

2019 के विशेष मुकदमे की कार्यवाही (राज्य बनाम आई. डी. 1) कंचन शर्मा) आई. पी. सी. की धारा 376 और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अनुसूचित जनजातियों की रोकथाम) की धारा 3 (2) (वी) के तहत 2018 के अपराध No.0278 से उत्पन्न हुआ। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम), मेरठ की अदालत में लंबित अत्याचार) अधिनियम, 1989।

अपील की अनुमति दी गई।

बिभूति भूषण बोस